पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-1127
दिनांक-16.05.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **"पेब्बल्स रेस्टोरेंट" मे अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर कार्यवाही।**
- **अवैध हुक्का बार चलाने वाला 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **04 अदद हुक्का सेट (जिसमें 01 टूटा हुआ) व 08 अदद फ्लेवर तम्बाकू बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.5.2025 को पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन के दौरान जयपुरिया स्कूल के सामने पेब्बल्स रेस्टोरेंट में चल रहे अवैध चल रहे हुक्का बार की मुखबिर की सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुये थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये पेब्बल्स रेस्टोरेंट विनीतखण्ड गोमतीनगर को चेक किया गया तो मैनेजर सत्येंद्र कुमार पुत्र चंद्रपाल भारती निवासी 3/399 विनयखंड गोमतीनगर लखनऊ मूल पता ग्राम धाकवा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र 35 वर्ष व रेस्टोरेंट में हुक्का सर्व करने वाले अनुज कुमार पुत्र श्रीपाल यादव निवासी 1/208 विनीतखंड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष मौजूद मिले तथा पुलिस को देखकर भागने लगे।

पेब्बल्स रेस्टोरेंट से 04 अदद हुक्का सेट(जिसमे 01 टूटा हुआ) व 08 अदद फ्लेवर तम्बाकू के डिब्बे मिले। मैनेजर सतेन्द्र कुमार से पेब्बल्स रेस्टोरेंट में हुक्का पिलानें का लाईसेन्स मांगा गया तो नही दिखा सके तथा भागने का कारण पूछने पर सतेन्द्र कुमार व अनुज एक स्वर में बताया कि हमारे पास हुक्का पिलाने का लाईसेन्स नही है फिर भी हम लोग इन्ही तम्बाकू के अलग अलग से फ्लेवर का हुक्का लोगो को पिलाते हैं। जिनके बारे में सतेन्द्र कुमार व अनुज उपरोक्त से सम्बन्धित प्रपत्र आदेश दिखाने के लिये कहा गया तो कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही करा पाये।

उक्त रेस्टोरेंट/कैफे में धूम्रपान लोगो के स्वास्थ के लिये हानिकारक है, सम्बन्ध में मानकों के अनुरूप बोर्ड नहीं लगा था तथा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का प्रवेश निषेध है, नही लिखा था तथा कोटपा अधिनियम द्वारा जारी आदेश निर्देश का बिना पालन किए अवैध रुप से हुक्के का संचालन किए जा रहा था मौके पर मौजूद पेब्बल्स रेस्टोरेंट की टेबल पर रखे हुए 03 अदद हुक्के सेट को जो चालू हालत मे है तथा 01 अदद टूटा हुआ हुक्का व 08 अदद फ्लेवर तम्बाकू के डब्बे को कब्जा पुलिस में लिया गया।

चूंकि पकडे गये व्यक्तियों का यह कृत्य इस उपेक्षा पूर्व कार्य से लोगों मे संक्रामक रोग/गम्भीर बीमारी फैलनें की प्रवल सम्भावना है तथा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का पालन नही किया जा रहा है। दोनो अभियुक्तों को हिरासत पुलिस लिया गया एवं फर्द बरामदगी एव गिरफ्तारी के आधार पर थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0 198/2025 धारा 223, 271, 272 बीएनएस व धारा 13(क) कोटपा अधिनियम पंजीकृत किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1- सत्येंद्र कुमार पुत्र चंद्रपाल भारती निवासी 3/399 विनयखंड गोमतीनगर लखनऊ मूल पता ग्राम धाकवा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र 35 वर्ष

2- अनुज कुमार पुत्र श्रीपाल यादव निवासी 1/208 विनीतखंड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष

04- आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण उपरोक्त-

1-मु0अ0सं0 198/2025 धारा 223/271/272 बीएनएस व धारा 13(क) कोटपा अधिनियम थाना गोमतीनगर लखनऊ

नोट- अभियुक्तगण उपरोक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रहीहै।

05-बरामदगीः-

1- 04 अदद हुक्का सेट (जिसमे 01 टूटा हुआ)

2- 08 अदद फ्लेवर तम्बाकू के डब्बे

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री ब्रजेश चन्द्र तिवारी त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना गोमतीनगर लखनऊ

2- उ0नि0 श्रीमती गुरप्रीत कौर

3- उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव

4- उ0नि0 श्री श्याम सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1125
दिनांक-16.05.2025

जोन- पूर्वी/ थाना-गुडम्बा

- **अपहरण करने वाले 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद महिन्द्रा थार व 40,000/- रुपये बरामद।**
- **थाना गुडम्बा की कार्यवाही ।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 16.05.2025 को वादी मुकदमा द्वारा थाना गुडम्बा पर अभियुक्तगण द्वारा वादी को एक चार पहिया गाडी काले रंग की थार में जबरदस्ती उठा ले जाने व मारपीट करना तथा हिसाब के रखे 40000/- रुपया ले लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 187/2025 धारा 140(1)/3(5) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया ।

प्रभारी निरीक्षक गुडम्बा श्री प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहरण कर रूपये लेने वाले तीन नफर अभियुक्तों 1. अनिल राज पुत्र शिव कुमार गौतम निवासी ग्राम व पो0 भदवाना थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष 2. जैनुल आबदीन पुत्र शरापत अली निवासी भदवाना थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ उम्र 32 वर्ष 3. अनिकेत द्विवेदी पुत्र मनोज द्विवेदी निवासी मायापुरम लाला जनरल स्टोर के पास बुद्धेश्वर थाना पारा लखनऊ उम्र 24 वर्ष को पतारसी सुरागरसी के क्रम में निरी0 श्री भानु प्रताप सिंह मय हमराही पुलिस बल के बेहटा किसान पथ फ्लाई ओवर के नीचे मौजूद घटना में प्रयुक्त काले रंग के थार संख्या UP 32 NN 6366 से दिनांक 16.05.2025 को समय 12.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना से सम्बन्धित 40 हजार रूपये व घटना में प्रयुक्त काले रंग के थार बरामद किये गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देशय-

वादी मुकदमा व अभियुक्तगण एक साथ आनलाईन वेबसाइटों के माध्यमो से रूपये अर्जित करने का कार्य करते है । वादी मुकदमा के पास मौजूद कैश 40 हजार रूपये की जानकारी होने पर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को काले रंग की थार में अपहरण कर वादी मुकदमा से मार पीट किया गया तथा वादी मुकदमा के पास से 40 हजार रूपये ले लिये जाने का अपराध कारित किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अनिल राज पुत्र शिव कुमार गौतम निवासी ग्राम व पो0 भदवाना थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष।
2. जैनुल आबदीन पुत्र शराफत अली निवासी भदवाना थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र 32 वर्ष।
3. अनिकेत द्विवेदी पुत्र मनोज द्विवेदी निवासी मायापुरम लाला जनरल स्टोर के पास बुद्धेश्वर थाना पारा लखनऊ उम्र 24 वर्ष ।

04-बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त 01 अदद काले रंग के थार संख्या UP 32 NN 6366
- घटना से सम्बन्धित 40,000/-रूपये नगद

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना गुडम्बा

1. SHO श्री प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव
2. निरी0 श्री भानु प्रताप सिंह
3. उ0नि0 श्री त्रिविक्रम सिंह
4. उ0नि0 श्री रामगोपाल यादव
5. उ0नि0 श्री यशपाल सिंह
6. म0उ0नि0 सावित्री सिंह
7. का0 विवेक
8. का0 दलवीर
9. का0 रवि राणा
10. का0 विकल्प
11. का0 श्रीकृष्ण चौधरी

आपराधिक इतिहास-

आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1130

दिनांक-16.05.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 नफर अराजकतत्वों को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.05.2025 को उ0नि0 श्री धीरेन्द्र राय मय हमराह पुलिस बल के ग्राम मलूकपुर में मौजूद थे कि सूचना मिली कि ग्राम विक्रमपुर मे एक व्यक्ति लडाई झगडा कर रहा है । इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा कि योगेन्द्र पुत्र जगपाल निवासी ग्राम विक्रमपुर थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 39 वर्ष द्वारा कमलेश कुमार से उनके द्वारा पूर्व में लिखाये गये मुकदमे को लेकर आमदा फौजदारी हो रहा था। पुलिस बल द्वारा योगेन्द्र उपरोक्त को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया परन्तु मानने को तैयार नही हुआ और उत्तेजित होकर अमादा फौजदारी होने लगा।

मौके पर शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत व किसी संज्ञेय अपराध घटित होने के दृष्टिगत गिरफ्तारी के सिवाय अन्य कोई चारा न देख योगेन्द्र उपरोक्त को नियमानुसार धारा 170 भा0ना0सु0सं0 हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

दिनांक 16.05.2025 को उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार भारती मय हमराह पुलिस बल के ग्राम रायपुर में मौजूद थे कि सूचना मिली कि ग्राम रायपुर मे एक व्यक्ति लडाई झगडा कर रहा है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा कि 1. विजय पुत्र रामअवध निवासी ग्राम राजापुर थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष अपने चाचा राजेश पुत्र शिव निवासी ग्राम राजापुर थाना इटौंजा लखनऊ से पारिवारिक जमीन के बंटवारे को लेकर आमदा फौजदारी हो रहा था। पुलिस बल द्वारा दोनो पक्षों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो राजेश उपरोक्त मान गये

परन्तु विजय उपरोक्त मानने को तैयार नही हुआ और उत्तेजित होकर अमादा फौजदारी होने लगा। मौके पर शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत व किसी संज्ञेय अपराध घटित होने के दृष्टिगत गिरफ्तारी के सिवाय अन्य कोई चारा न देख विजय उपरोक्त को नियमानुसार धारा 170 भा0ना0सु0सं0 हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्तगण द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने का कृत्य किया गया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

1. योगेन्द्र पुत्र जगपाल निवासी ग्राम विक्रमपुर थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 39 वर्ष
2. विजय पुत्र रामअवध निवासी ग्राम राजापुर थाना इटौजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री धीरेन्द्र राय
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार भारती
3. का0 जाहिद
4. का0 राहुल चौधरी
5. का0 दीपक तोमर

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1133
दिनांक-16/05/2025

जोन पश्चिमी/ थाना कैसरबाग

- **जनता के सहयोग से घर में आग लगाने वाले आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01. संक्षिप्त विवरण-

थाना कैसरबाग के मकबूलगंज क्षेत्र में अभियुक्त सन्नी कुमार उर्फ शनि सिंह पुत्र स्व0 उमेश सिंह उर्फ उमेश कुमार नि0 89/74 शुतुरखाना मकबूलगंज थाना कैसरबाग लखनऊ द्वारा वादिनी मुकदमा मालती सिंह पत्नी रमेश सिंह निवासी 74 शुतुर खाना मकबूलगंज थाना कैसरबाग लखनऊ के घर में जानबूझ जलती सिगरेट से आग लगा दिया गया, जिससे घर में रखा सामान जल गया और मौके पर ही मकान मालिक/जनता के व्यक्तियों द्वारा अभियुक्त सन्नी कुमार उपरोक्त को पकड़ कर थाने लाया गया, थाना पर तत्काल अभियुक्त सन्नी कुमार उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 88/2025 धारा 326(G) BNS पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

02. नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

(1) सन्नी कुमार उर्फ शनि सिंह पुत्र स्व0 उमेश सिंह उर्फ उमेश कुमार नि0 89/74 शुतुरखाना मकबूलगंज थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र 36 वर्ष

03. गिरफ्तारी का स्थान व दिनाँक-

वादिनी मालती सिंह का घर 74 शुतुरखाना मकबूलगंज लखनऊ, दिनांक-16.05.2025

04. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. का0 अरुण कुमार – थाना कैसरबाग लखनऊ
2. का0 अभिनव सिंह – थाना कैसरबाग लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1131

दिनांक-16.05.2025

जोन- दक्षिणी/थाना कृष्णानगर

- **02 नफर वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

01.संक्षिप्त विवरण –

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ के द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी लखनऊ, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के अनुपालन में सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर लखनऊ के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर के नेतृत्व में गठित थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय से निर्गत 02 अदद गैर जमानतीय अधिपत्र वाद सं0- 6755/12 अ0सं0 4/92 धारा 4/25 Act थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ व वा0 संख्या 6895/09 अ0सं0 255/92 धारा 379/411 भादवि0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 नफर वारन्टी अभियुक्त शिवबालक पुत्र शंकरलाल यादव निवासी- अलीनगर सुनहरा थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 58 वर्ष , 2. राजू पासी पुत्र स्व0 रामचन्द्र निवासी कासिमपुर पकरी थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र 50 वर्ष को आज दिनांक 16.05.2025 को अभियुक्तों को घर से गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी है। अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

02.गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. परशुराम पुत्र जगन्नाथ निवासी 569क/34 सम्भरखेडा थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र 55 वर्ष।
2. राजू पासी पुत्र स्व0 रामचन्द्र निवासी कासिमपुर पकरी थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र 50 वर्ष।

03. सम्बन्धित वाद /अभियोग-

1. वाद सं0- 6755/12 अ0सं0 4/92 धारा 4/25 Act थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ ।
2. वाद सं0- 6895/09 अ0सं0 255/92 धारा 379/411 भादवि0 थाना कृष्णानगर लखनऊ।

04.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01-प्र0नि0 प्रद्युम्न कुमार सिंह, कोतवाली कृष्णानगर,कमि0 लखननऊ।

02-उ0नि0 श्री बृजेश चौधरी, कोतवाली कृष्णानगर, कमि0 लखनऊ।

03-उ0नि0 श्री शिशुपाल सिंह, कोतवाली कृष्णानगर, कमि0 लखनऊ।

04-उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार, कोतवाली कृष्णानगर कमि0 लखनऊ।

05-का0 रोहित कुमार, कोतवाली कृष्णानगर कमि0 लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-1128
दिनांक-16.05.2025

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- **"थाना महानगर से वारंटी पर कार्यवाही"**
- **01 नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ की कार्यवाही ।**

01.संक्षिप्त विवरण–

अभियुक्त किशन पुत्र मेवालाल निवासी न्यू हैदराबाद थाना महानगर लखनऊ उम्र लगभग 55 वर्ष जो काफी दिनो से फरार चल रहा था और मा0 न्यायालय में तारीख पेशी पर समय से उपस्थित न होने के कारण अभियुक्त किशन पुत्र मेवालाल उपरोक्त के विरूद्ध वाद सं0-165/17 अ0सं0-482/90, धारा 394 भा0द0वि0 थाना महानगर लखनऊ में मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया था। अभियुक्त किशन पुत्र मेवालाल उपरोक्त को थाना महानगर को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त किशन पुत्र मेवालाल निवासी न्यू हैदराबाद थाना महानगर लखनऊ उम्र लगभग 55 वर्ष जो काफी दिनो से फरार चल रहा था और मा0 न्यायालय में तारीख पेशी पर समय से उपस्थित न होने के कारण अभियुक्त किशन पुत्र मेवालाल उपरोक्त के विरूद्ध वाद सं0-165/17 अ0सं0-482/90, धारा 394 भा0द0वि0 थाना महानगर लखनऊ में मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया था। अभियुक्त किशन पुत्र मेवालाल उपरोक्त को थाना महानगर को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

(1). किशन पुत्र मेवालाल निवासी न्यू हैदराबाद थाना महानगर लखनऊ उम्र लगभग 55 वर्ष

04-सम्बन्धित वाद/ अभियोग-

(1) वाद सं0-165/17 अ0सं0-482/90, धारा 394 भा0द0वि0 थाना महानगर लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 अरूण प्रताप सरोज थाना महानगर लखनऊ
2. उ0नि0 लालबहादुर थाना महानगर लखनऊ
3. उ0नि0 अशोक कुमार गौड थाना महानगर लखनऊ
4. का0 नरेन्द्र सिंह थाना महानगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1129
दिनांक 16/05/2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज महोदय के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज के द्वारा गठित टीम द्वारा नाबालिक लड़की को भगाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.05.2025 को वादी द्वारा सूचना दिया गया था कि प्रार्थी की पुत्री आयु लगभग 16 वर्ष को विपक्षी सनी गौतम पुत्र राज कुमार गौतम निवासी ग्राम गौरा कालोनी थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा बहला फुसला कर प्रार्थी के घर से भगा ले जाया गया है। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर तत्काल मु0अ0स0 161/25 धारा 87/137(2) BNS पंजीकृत किया गया।

अपहृता की बरामदगी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । कल दिनांक 15.05.2025 को पीड़िता की सकुशल बरामदगी की गयी थी। आज दिनांक 16.05.2025 को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त सनी गौतम पुत्र राज कुमार गौतम निवासी ग्राम गौरा कालोनी थाना मोहनलालगंज लखनऊ को बेलहनी मोड़ थाना मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

03-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 161/25 धारा 87/137(2) BNS थाना मोहनलालगंज लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सनी गौतम पुत्र राज कुमार गौतम निवासी ग्राम गौरा कालोनी थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 20 वर्ष

05- गिरफ्तारी पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री साजिद अली
2. का0 मो0आरिफ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1126

दिनांक-16.05.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-निगोहां

- 04 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से 02 अदद सफेद रंग की सोलर बैट्री व 02 अदद इनवर्टर बरामद।
- थाना निगोहाँ पुलिस टीम की सफलता।

01-कार्यवाही विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व अपने सकुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी कमिश्नरेट लखनऊ के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी कमिश्नरेट लखनऊ व सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष निगोहां के नेतृत्व में थाना निगोहां पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 84/2025 धारा 305ए/331(4) बीएनएस से सम्बन्धित 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.05.2025 को वादी श्री सुदर्शन कुमार उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र श्री राजेश प्रसाद नि0 बिहार थाना शिकारपुर जनपद पश्चिमी चम्पारन हाल पता - कल्ली पश्चिम थाना पी0जी0आई0 लखनऊ की लिखित तहरीर बावत ग्रा0 उदयपुर स्थित पानी की टंकी से 02 सोलर बैट्री तथा 01 इनवर्टर को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दिया था जिसके आधार पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 84/2025 धारा 305ए /331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

जिसके त्वरित निस्तारण हेतु थाना निगोहाँ की टीम के उ0नि0 श्री चन्दन कुमार यादव उ0नि0 श्री आनन्द प्रताप सिंह मय हमराही कर्म0गण के थाना हाजा से रवाना होकर उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित 04 नफर अभि0 1. अरदीप कुमार यादव पुत्र राधेलाल उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम बाछूपुर मजरा नीमटीकर पो0 कसरांवा थाना बछरांवा जनपद रायबरेली 2. अभिषेक वर्मा पुत्र पंकज कुमार उम्र करीब 21 वर्ष निवासी दुन्दगढ़ पो0 सहगों थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली 3. राज मोहन वर्मा पुत्र कुशमेर सिंह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी दुन्दगढ़ पो0 सहगों थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली 4. दीप प्रकाश चौधरी पुत्र सतीश चन्द्र उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम पिंडौली पो0 पिंडौली थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली को उनके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए मय 02 सफेद रंग की सोलर बैट्री जिन पर HPL पावर सिस्टम लिमिडेट जेल वर्ला व 01 इनवर्टर जिसके ऊपर STATCON-ENERGIAA कम्पनी, 2KVA/24VMPTT BASED INVERTER मॉडल न0 2KVA/24VMPTT BASED INVERTER तथा एक इनवर्टर सीरियल न0 23DOO208AO के समय 10.30 बजे दिनांक 16.05.2025 को **निगोहां नगराम रोड से मीरकनगर को जाने वाले रास्ते से** गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा गया।

03-अनावरित/पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 84/2025 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अरदीप कुमार यादव पुत्र राधेलाल उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम बाछूपुर मजरा नीमटीकर पो0 कसरांवा थाना बछरांवा जनपद रायबरेली
2. अभिषेक वर्मा पुत्र पंकज कुमार उम्र करीब 21 वर्ष निवासी दुन्दगढ़ पो0 सहगों थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली राज मोहन वर्मा पुत्र कुशमेर सिंह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी दुन्दगढ़ पो0 सहगों थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली
3. दीप प्रकाश चौधरी पुत्र सतीश चन्द्र उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम पिंडौली पो0 पिंडौली थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली

05-बरामदगी–

- 02 अदद सफेद रंग की सोलर बैट्री जिन पर HPL पावर सिस्टम लिमिडेट जेल वर्ला व
- 01 अदद इनवर्टर जिसके ऊपर STATCON- ENERGIAA कम्पनी, 2KVA/24VMPTT BASED INVERTER मॉडल न0 2KVA/24VMPTT BASED INVERTER
- 01 अदद इनवर्टर सीरियल न0 23DOO208AO

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री चन्दन कुमार यादव थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ
2. उ0नि0 श्री आनन्द प्रताप सिंह थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ
3. का0 विपिन कुमार थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ।
4. का0 राज करन थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1132

दिनांक-16.05.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 04 नफर अराजकतत्वों को किया गया गिरफ्तार ।**

01- संक्षिप्त विवरण –

प्राप्त सूचना के आधार पर उ0नि0 कनक कुमार मय पुलिस टीम के रोकथाम जुर्म जरायम, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु चौकी क्षेत्र अलकनंदा में मामूर थे कि जरिये दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि धोधनखेड़ा चौराहे के पास दो पक्ष आपस में वाद विवाद कर रहे है मौके पर उ0नि0 मय पुलिस टीम के घटनास्थल पहुंचे तो देखा कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष की दुकान से कुछ खरीदने उपरान्त भुगतान के संबंध में अनबन हो गई जिसके उपरान्त प्रथम पक्ष के 1.निशान्त मिश्रा पुत्र प्रेम प्रकाश मिश्रा निवासी सी-502 सन्तुष्टि इन्क्लेव थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 38 वर्ष 2. शेष नारायण अवस्थी पुत्र सच्चिदानंद अवस्थी निवासी सी-502 सन्तुष्टि इन्क्लेव थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 38 वर्ष द्वितीय पक्ष के 1.सुशील पुत्र राम प्रकाश निवासी जान्हवी इन्क्लेव अवध विहार योजना थाना सुशान्त गोल्फ सिटी उम्र 40 वर्ष 2.मुन्ना पलम्बर पुत्र श्रीराम चरन सिंह निवासी जान्हवी इन्क्लेव अवध विहार योजना थाना सुशान्त गोल्फ सिटी उम्र 27 वर्ष आपस में वाद विवाद कर रहे है। दोनों पक्षों को समझाने का काफी प्रयास किया लेकिन आपस में आमदा फौजदारी होने लगे जिससे काफी भीड़ इकट्ठा हो गई मौके पर संज्ञय अपराध कारित होने से रोकने के लिए दोनो पक्ष उपरोक्त को दिनांक-15.05.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है ।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.निशान्त मिश्रा पुत्र प्रेम प्रकाश मिश्रा निवासी सी-502, सन्तुष्टि इन्क्लेव, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

2. शेष नारायण अवस्थी पुत्र सच्चिदानंद अवस्थी निवासी सी-502, सन्तुष्टि इन्क्लेव, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

3-.सुशील पुत्र राम प्रकाश निवासी जान्हवी इन्क्लेव अवध विहार योजना थाना सुशान्त गोल्फ सिटी

4-मुन्ना पलम्बर पुत्र श्रीराम चरन सिंह निवासी जान्हवी इन्क्लेव अवध विहार योजना थाना सुशान्त गोल्फ सिटी

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम